

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 सितम्बर 2023—भाद्रपद 24, शक 1945

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 जुलाई 2023

क्रमांक ई 1-01/2023/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री रोहित व्यास, भा.प्र.से. (2017) आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला-दुर्ग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अपर कलेक्टर, जिला-सरगुजा का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

2. सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई, भा.प्र.से. (2018) आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अपर कलेक्टर, जिला-सरगुजा का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव।

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 4-3/30/सं/2023.—

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 जुलाई 2023

लक्षण मस्तुरिया सम्मान

प्रस्तावना :— छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इनमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना की है। इस पुनर्निर्माण कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को ‘लक्षण मस्तुरिया सम्मान’ देने का निर्णय लिया है।

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं —

1. संक्षिप्त नाम :—

- 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “लक्षण मस्तुरिया सम्मान नियम-2023” है।
- 2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषा :— इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- अ. ‘व्यक्ति’ से तात्पर्य एक व्यक्ति से है।
- ब. ‘निर्णायक मंडल’ से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है।

3. सम्मान का स्वरूप :— छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष “लक्षण मस्तुरिया सम्मान” राशि रूपये 1 लाख (रुपये एक लाख) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दी जायेगी। सम्मान, छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा।**4. निर्णायक मंडल का गठन :—** राज्य शासन, लोकगीत क्षेत्र के प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो अधिकतम पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा :—

1. कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ अथवा उनके द्वारा मनोनित सदस्य (उक्त विधा का प्राध्यापक)
2. अन्य चार प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञ छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद् के अंतर्गत — सदस्य
 - (1) कला अकादमी के अध्यक्ष
 - (2) कला अकादमी के सदस्य
 - (3) उप संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा
 - (4) प्रतिष्ठित लोकगीत

5. निर्णायक मण्डल की शक्तियाँ :—

- (1) निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित एक व्यक्ति की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी।
- (2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी।
- (3) संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाए।
- (4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक व्यक्ति का चयन होगा।
- (5) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा।

- (6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा भत्ता देय होगा।
6. **चयन की प्रक्रिया :**— सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्ति के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—
- (1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा एवं विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेंगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी।
 - (2) प्रविष्टि संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा को प्रस्तुत की जावेगी। प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :—
 - क. व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ़।
 - ख. छत्तीसगढ़ मूल निवासी एवं आधार कार्ड अनिवार्य (सत्यापित छायाप्रति)।
 - ग. छत्तीसगढ़ी लोक गीत के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी।
 - घ. यदि कोई अन्य सम्मान प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण।
 - च. छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति। (उपलब्धतानुसार)
 - छ. छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के मुख्यपृष्ठ की फोटो प्रति (सत्यापित) यदि कोई हो।
 - ज. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति की लिखित सहमति।
 - (3) अ. चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी।
 - ब. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा सम्मान हेतु विचारणीय नहीं है।
 - (4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र-व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।
 - (5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा।
 - (6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित सम्मान वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा —

क्र.	सम्मान हेतु व्यक्ति के नाम, पता एवं मोबाइल नं. तथा आधार कार्ड की छायाप्रति	जन्मतिथि	प्रस्तावक	लोकगीत की संक्षिप्त व्यौरा एवं पता	प्राप्त पुरस्कार/सम्मान (अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/प्रदेश कार्य अवधि स्तरीय अवधि स्तरीय जिला स्तरीय अवधि स्तरीय)	यदि हो तो जानकारी	पुरस्कार ग्रहण सेवारत करने हेतु जानकारी सहमति पत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- (7) पंजीयन के पश्चात् संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी —
1. व्यक्ति का नाम एवं पता
 2. प्रस्तावक
 3. कलाकार की उपलब्धियों का संक्षिप्त व्यौरा
 4. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
 5. प्रमाण/टिप्पणियाँ
 6. सम्मान ग्रहण करने वाले सहमति हैं/नहीं हैं।

7. **चयन का मानदंड :**— सम्मान के लिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :—
- (1) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्ति का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो।
 - (2) निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के छत्तीसगढ़ी लोकगीत कार्यों का मूल्यांकन होगा।
 - (3) व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए प्रस्तावित व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा की है।
 - (4) सम्मान चूंकि छत्तीसगढ़ी लोकगीत के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा इसलिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत के उत्कृष्ट कार्य करने वाले द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है।
 - (5) यह भी देखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सधनता से अपनाया गया है।
 - (6) निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवार जन उस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेगी, जिस वर्ष के सम्मान के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य हैं।
 - (7) यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वयं ही विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया हो अथवा उसके नाम का प्रस्ताव उसके संबंधित कार्यालय के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य व्यक्ति/कार्यालय/संस्था द्वारा उसका नाम सम्मान/पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, तो उक्त सभी स्थितियों में संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का प्रकरण नियमों के तहत गठित निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर ही उसका प्रकरण विभाग द्वारा निर्णायक मण्डल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (8) यदि निर्णायक मण्डल (जूरी)/चयन समिति द्वारा स्वतः ही स्व-विवेक से विचार करते हुए, किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार देने के लिए चयनित किया जाना हो तो उसके चयन के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, समन्वय से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
8. **सम्मान की घोषणा :**— निर्णायक मण्डल अपना निर्णय गोपनीय रूप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी।
9. **अलंकरण समारोह :**— सम्मानों का अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में सम्मानित व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्होंने के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी। सम्मान प्राप्त व्यक्ति को शासन के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी।
10. **व्यय की संपूर्ति :**— सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी। सम्मान/पुरस्कार हेतु राशि रु. 1.00 लाख एवं अन्य व्यय हेतु राशि रु. 1.00 लाख अर्थात् कुल राशि रु. 2.00 लाख मात्र व्यय होगी।
11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :**— राज्य शासन, संस्कृति विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, का निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग में वेष्ठित होंगे।

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन :—** चयनित व्यक्ति के छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों/कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्त के विवरण आदि का समावेश होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

**नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर**

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 अगस्त 2023

क्रमांक एफ 1-5/2020/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1) के में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अंतर्गत नगर पंचायत गौरेला एवं नगर पंचायत पेण्ड्रा को निम्न वर्णित अनुसूची के अनुसार नगर पालिका परिषद् गौरेला एवं नगर पालिका परिषद् पेण्ड्रा के रूप में गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

क्र.	नगर पालिका परिषद् का नाम	जिला
1	गौरेला	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
2	पेण्ड्रा	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

अनुसूची-2

नगर पालिका परिषद् गौरेला तथा नगर पालिका परिषद् पेण्ड्रा की सीमाएं निम्नानुसार होंगी :—

नगर पंचायत गौरेला की सीमाएं ही नगर पालिका परिषद् गौरेला की सीमाएं होंगी तथा नगर पंचायत पेण्ड्रा की सीमाएं ही नगर पालिका परिषद् पेण्ड्रा की सीमाएं होंगी।

उपरोक्त आशय के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त विषय में अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. ध्रुव, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 अगस्त 2023

क्रमांक एफ 1-5/2020/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-5/2020/18 दिनांक 14-08-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. ध्रुव, संयुक्त सचिव.